"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मई 2014— ज्येष्ठ 6, शक 1936

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-11/15-2/2013/1. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 77 की उपधारा (1) एवं (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन करती है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में होगा.

No. F 15-11/15-2/2013/1. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (8) of Section 77 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, constitutes the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal with its headquarters at Bilaspur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भुवनेश यादव**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-13/15-2/2013/2. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 77 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) तथा उप-धारा (5) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री रघुबीर सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है.

अध्यक्ष की पदावधि, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी.

No. F 15-13/15-2/2013/2. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) and clause (a) of sub-section (5) of Section 77 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, appoints Shri Raghubir Singh, Retired District and Sessions Judge as the Chairperson of the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal.

The term of office of the Chairperson shall be for a period of Three years from the date he assumes the charge.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भुवनेश यादव**, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.